न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -01/2024

अनवान

सूरजमल धाकड़ पुत्र हेमराज जी, जाति धाकड़, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

- प्रार्थी

बनाम

1. पंकज कुमार पुत्र राधेश्याम, जाति धाकड़, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. रमेश पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति धाकड़, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. रामकन्या बाई पत्नी राधेश्याम, जाति धाकड़, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. रामकुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति धाकड़, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. राहुल कुमार पुत्र राधेश्याम, जाति धाकड़, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
6. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री भूपेन्द्र कुमार पुरोहित अभिभाषक प्रार्थी
श्री आजाद हुसैन अप्राथी संख्या 01 से 05
श्री पेरोकार सरकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 07.01.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मुझ प्रथम पक्षकार के नाम ग्राम खातीखेड़ा पटवार हल्का खातीखेड़ा वर्तमान जमाबंदी अनुसार खाता संख्या 493 खसरा संख्या क्रमशः 1113 मी., 1132 मी., 149 मी., 687, 691 मी., 798 मी., 856 मी., 878, 993 कुल किता 9 रकबा 5.24 हैक्टेयर दर्ज रिकॉर्ड है जिस पर मैं काबिज हो काश्त कर रहा हूँ। मुझ प्रथम पक्षकार की उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 878 पर आने के लिए मैं नक्शा ट्रेस में वर्णित मियां का तालाब के रास्ते से नक्शे में दर्शित ए से बी होते हुए खसरा संख्या 878 पर जाकर काश्त करता हूं तथा कदीमी समय से इसी रास्ते से होकर काश्त कर रहा हूं तथा हँकाई जुताई के लिनये साधन भी लेकर जाता रहा हूं। इस वर्ष दीपावली के समय सभी अप्रार्थीगण ने मेरी आराजी 878 पर आने-जाने के कदीमी समय के रास्ते पर मुझे निकलने से मना कर दिया ताि मैं नहीं माना तो अप्रार्थी राहुल मुझे माने के लिए पत्थर लेकर दौड़ा तथा सभी अप्रार्थीगण ने मुझे धमकी दी कि रास्ते से निकले तो ठीक नहीं होगा तथा बाद में पत्थरों की दीवार बना कर मेरी आराजी पर आने-जाने का रास्ता बंद कर दिया मैं प्रार्थी करीब 50 वर्ष से उक्त वर्णित रास्ते पर आ जा रहा हूँ उक्त वर्णित रास्ता अप्रार्थी की आराजी संख्या 875 से होकर [illegible] 878 पर [illegible] के नक्शे में वर्णित ए से बी की ओर जाता है। प्रार्थी की आराजी संख्या [illegible] ऐ से बी पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है यदि प्रार्थी को अप्रार्थीगण नक्शे [illegible] होते हुए निकलने नहीं देंगे तो आराजी हमेशा के लिए पड़त [illegible] भारी आर्थिक हानि हो जायेगी। अंत मे प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी का [illegible] वर्णित मियां का तालाब के रास्ते से खसरा संख्या 875 के उत्तर दिशा में नक्शें में अंकित ए से [illegible] ओर 12 फीट चौड़ा रास्ते के व इसी अनुरूप नक्शे में तरमीम के आदेश प्रदान करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया, विपक्षीगण संख्या 01 से 05 की ओर से अधिवक्ता श्री आजाद हुसैन ने वकालतनामा प्रस्तुत जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के अनुसार मामले हाजा में कॉलम नं0 1 सही होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कॉलम नं. 02 गलत

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

होने से स्वीकार नहीं है, प्रार्थी सूरजमल का खसरा संख्या 878 में जाने के लिये अप्रार्थीगण की मेड से कभी रास्ता नहीं रहा है, ना कभी अप्रार्थीगण की मेड पर से गुजरा प्रार्थी के खसरा नं. 878 पर आने जाने क लिये अलग से रास्ता है, जहां से वह आता जाता रहा है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 03 पूर्णतया गलत होने से स्वीकार नहीं है, प्रार्थी कभी भी अप्रार्थीगण की जमीन पर नहीं आया उसने कभी रास्ते की मांग नहीं की खसरा संख्या 875 से होकर प्रार्थी के गुजरने का कभी रास्ता नहीं रहा है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 04 गलत होने से स्वीकार नहीं है, प्रार्थी का अप्रार्थीगण की जमीन से होकर गुजरने का कोई अधिकार नहीं है, आज तक वह जिस रास्ते से आता रहा है, उसी रास्ते से आना जाना चाहिये। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 05 व 07 कानूनी हे, जवाब की आवश्यकता नही है। अत में अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी का आना जाना कभी भी अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि के खसरा संख्या 875 से होकर नहीं रहा है, प्रार्थी ने जिस जगह रास्ता चाहा है, उस जगह पर खसरा संख्या 882 के खातेदार दुर्गा बाई पिता रामचंद्र धाकड ने पत्थरों की दिवार बना रखी है, और अप्रार्थीगण ने भी खसरा संख्या 885 के पास अपनी खातेदारी जमीन में दिवार बना रखी है, जहां से कोई रास्ता अन्य खेतों में आने जाने का नहीं है। खसरा संख्या 875 में से ही जहां से रास्ता चाहा है, वहां नक्शे में दिखाये गये एक्स स्थान पर अप्रार्थीगण का कुंआ बना हुआ है, जो कि पक्का है और मुण्डेर बनी हुई है जिससे प्रार्थी जमाना कदीम से होकर आता जाता रहा है और उसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए अप्रार्थीगण नये सिरे से प्रार्थी को कोई रास्ता नहीं देना चाहते रास्ता दिये जाने की स्थिति में प्रार्थी की फसलों को व सम्पति को नुकसान होने की आशंका हमेशा बनी रहेगी। प्रार्थी के पास गत 50 वर्षो से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 875 से होकर गुजरने का कोई साक्ष्य नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 07 ने न्यायालय में उपस्थित हो जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कॉलम संख्या 01 सही होना स्वीकार है, प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 02 गलत होने से स्वीकार नहीं है, प्रार्थी सूरजमल के खेत खसरा संख्या 878 में जाने के लिये मुझ अप्रार्थी के खेत में से होकर कोई रास्ता नहीं है,सूरजमल कभी भी हमारे खेत खसरा संख्या 882 में होकर नहीं गुजरा है,उसका रास्ता हमेशा से पंकज धाकड के खेत में से होकर रहा है, गत् 10 वर्ष पूर्व पंकज के पिता राधेश्याम ने अपने खेत उत्तरी दिशा की मेड पर कुआं खुदवा कर डी.पी. लगवा ली है जिसकी वजह से रास्ता अवरूद्ध हो रहा है, अब सूरजमल हमारे खेत खसरा संख्या 882 में से होकर रास्ता मांग रहा है, जो कि गलत है, में अप्रार्थी अपने खेत में से रास्ता देने के लिए इस शर्त पर सहमत हो सकती हूं कि मेरी जितनी जमीन रास्ते में जावे उतनी ही जमीन सूरजमल अपने खेत में से मुझे दे दे तो में रास्ता देने के लिए तैयार हूं अन्य कोई शर्त मुझे मंजूर नहीं है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 03 गलत होने से स्वीकार नहीं है, प्रार्थी सूरजमल और मेरे बीच कभी भी रास्ते के मामले को लेकर लडाई झगडा नहीं हुआ सूरजमल ने मुझ से कभी रास्ता नहीं मांगा और मैने कभी उसका रास्ता भी बंद नहीं किया वह अपने पुराने रास्ते से आता जाता रहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमारे खेत खसरा संख्या 882 मे से रास्ता दिये जाने की स्थिति मे जितनी मेरी पत्थर की कोट चुनी हुई है, उसको हटा कर वापस चुनवाने का खर्चा भी प्रार्थी सूरजमल से लेने की हकदार हूं। अंत मे निवेदन किया कि प्रार्थी सूरजमल को मेरे खेत खसरा संख्या 882 के अलावा अन्य किसी जगह से रास्ता दिया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जमीन के बदले जमीन देने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण रास्ता कायमी का होने से अप्रार्थी सख्या 06 तहसीलदार रावतभाटा से मौका एवं स्थिति की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रावतभाटा ने प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम खातीखेडा प0ह0 खातीखेडा के आराजी संख्या 878 रकबा 1.00है0 भूमि प्रार्थी सूरजमल पुत्र हेमराज धाकड सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के खसरा संख्या 878 में जाने का रास्ता रिकार्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थी के खसरा संख्या 878 में जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। सलंग्न पर्चा मौका मे अंकित नजरी नक्शानुसार मौके पर कच्चा रास्ता (गडार) चालू होकर खसरा संख्या 885 गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकार्ड है, जो खसरा संख्या 875 की उत्तर पश्चिमी मेड मे होकर गुजरता है। पूर्व में खसरा संख्या 878 जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते में मौके पर विद्युत ट्रांसफार्मर लग... ...सीमान के निर्देशानुसार न्यूनतम दूरी का संशोधित रास्ता सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार गडार ... (... संख्या 885) से शुरू होकर आराजी संख्यास 882 में होकर आराजी संख्या 875 ... ... बाद आराजी संख्या 875 में से होकर आराजी संख्या 878 में जाने हेतु रास्ता लिया जाना ... है। उक्त प्रस्तावित 4 मीटर चौडाई वाले रास्ते के लिए खसरा संख्या 882मी. मे दक्षिणी पश्चिमी मेड की लम्बाई 36 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 36 X4 = 144 व आराजी संख्या 875 में उत्त... ...ड की लम्बाई 32 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 32 X4 = 128 व कुल रकबा 272 वर्गमीटर भूमि उपयोग में आयेगी। प्रस्तावित भूमि की प्रचलन डीएलसी रेट 6,24,761 रू प्रति हैक्टयर अथवा 62.47 प्रति वर्गमीटर है। प्रार्थी के रास्ते में आने वाली भूमि 272 वर्गमीटर है। प्रचलन डी.एल.सी. दर के हिसाब से 272 X62,

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagor
Date: 2025.01.31 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

47 = 16992 रू बनती है। जिसका दुगुना शुल्क प्रार्थी को जमा कराना होगा। उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम होकर इससे निकट अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसके अतिरिक्त आराजी संख्या 878 पर जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

हमने उभय पक्ष को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि उनकी आराजीयात में आने जाने का कोई रास्ता नहीं होने से उसे कृषि कार्य हेतु आने जाने में असुविधा होती है तथा आराजी संख्या 878 कृषि भूमि पर कदीमी समय से आने जाने के लिए आराजी संख्या 882, 875 से होते हुए रास्ता बना हुआ है जो रिकार्डेड नहीं है,उक्त रास्ता मुल रास्ते आराजी सख्या 885 से होकर एक आम रास्ता विपक्षीगण के खसरा सख्या 875, 882 भूमि से रास्ता होता हुआ प्रार्थीगण की भूमि तक आता है, लेकिन उक्त रास्ता आस पड़ौस वाले विपक्षीगण संख्या 01 से 5 व 7 ने दिवार बना कर बंद कर दिया है, जिसके कारण प्रार्थी अपने खातेदारी काश्त की आराजी पर आ जा नहीं पा रहे हैं, उक्त आराजी पर आने जाने का एक मात्र रास्ता यही है, तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम नहीं है, उक्त रास्ता जो आराजी संख्या 882, 875 के दक्षिणी पश्चिमी मेर व 875 के उत्तरी मेर के सहारे सहारे आराजी संख्या 878 प्रार्थी के खाते की कृषि में आता है, प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 01 से 5 व 7 की खातेदारी की उक्त भूमि में से दक्षिणी पश्चिमी व उत्तरी मेड पर से नियमानुसार रास्ता चाहता है। इसके लिए वह नियमानुसार राशि विपक्षी खातेदार को देने को तैयार है। तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट दिनांक 28.10.2024 के अनुसार उक्त प्रकरण में नक्शें अनुसार प्रार्थी विपक्षीगण की आराजी संख्या 875, 882 के दक्षिणी पश्चिमी व उतरी दिशा से रास्ता चाहता है, इस रास्ते में आराजी संख्या 875, 882(272 वर्गमीटर) भूमि काम आयेगी। प्रार्थी को ग्राम खातीखेडा की आराजी संख्या 882 के दक्षिणी पश्चिमी व 875 के उत्तरी मेड के सहारे सहारे पर से रकबा 272 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर 624761/ रू. प्रति है0 से 272X62.47=16992 रूपये की दुगुनी राशि कीमत 33984/- रू बनती है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी। प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तावित रास्ते मे से आराजी संख्या 882, 875 मे से ही रास्ता दिया जाना उचित प्रतित होता है, अतः प्रार्थी के पास उसके खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई मार्ग/विकल्प नहीं होने से उसके द्वारा सुखाधिकार के तहत भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। जिससे उक्त तथ्यों को देखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

-ःआदेशः-

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत ग्राम खातीखेडा पटवार हल्का खातीखेडा की आराजी संख्या 134 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 से 5 व 7 की आराजी संख्या 875, 882 दक्षिणी पश्चिमी मेड से व उत्तरी मेर के सहारे-सहारे कुल 272 वर्गमीटर भूमि रास्ता हेतु दिलाये जाने का स्वीकार किया जाकर रकबा 272 वर्गमीटर भूमि डीएलसी रेट अनुसार डीएलसी दर 6,24,761/रू. अनुसार कीमत 16992 रू की दुगुनी दर से राशि 33,984/रू. (अक्षरे रूपय तैंतीस हजार नौ सौ चौंरासी रू. मात्र) कीमतन का भुगतान संबंधित खातेदार हिस्से अनुसार किये जाने पर उक्त भूमि रास्ते के उपयोग हेतू बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि विपक्षी संख्या 01 से 5 व 7 की रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि 272 वर्गमीटर (राशि 33,984 रू) का भुगतान विपक्षी संख्या 1 से 5 व 7 को किये जाने बाबत उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार रावतभाटा के मार्फत किये जाने हेतु प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर उक्त आदेशानुसार भुगतान हेतू संबंधित तहसीलदार को ड्राफ्ट भिज[illegible] हेतू तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे की छायाप्रति, [illegible] के साथ संलग्न कर पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को खुले न्यायालय में [illegible] तहसीलदार रावतभाटा को पालनार्थ भेजी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagor
Date: 2025.01.31 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
जिला-चितौडगढ़